राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

कनिष्ठ लिपिक, 2011 एवं शीघ्र लिपिक, 2011 अभ्यर्थियों की नियुक्ति/ पदस्थापन संबंधी दिशा निर्देश :

अभ्यर्थियों की नियुक्ति /पदस्थापन से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे –

1. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।
2. इन अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं ।
3. इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि) के सबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer Related) के प्रमाण पत्र की नियुमानुसार जांच करने के उपरांत नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जावे, यदि किसी प्रमाण पत्र मे कोई शंका हो तो उसका सत्यापन आयोग कार्यालय से कराने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही करे। साथ भी यह भी सुनिश्चित करें कि मूल आवेदन पत्र मे अंकित नाम के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किया जावे। **आवेदकों को नियुक्ति देने से पूर्व इनकी संबंधित सेवा नियम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के अन्तर्गत एवं विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तों यथा आयु,वर्ग(Category) एवं योग्यता प्रमाण पत्र/उपाधि की मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर उनके समस्त मूल प्रमाण पत्रों से एवं उनके आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों से मिलान का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा ।**
4. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रर्फोमा में विभाग स्वयं के स्तर से प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करे।
5. विभाग द्वारा अपने स्तर पर यह भी जांच कर ली जाये कि :–
   A. ओ.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी मे आता है तो उनके आवेदन पत्र आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटा दिये जावें ताकि उनकी पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में आंकी जा सके।
   B. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र आयोग को लोटाएँ।
6. नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों के आचरण का पुलिस सत्यापन एवं स्वास्थ्य की जांच प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी स्तर से करवायी जानी है। जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं एवं उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
7. आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी कार्यग्रहण नहीं करता है तो अभ्यर्थी का फॉर्म आपके विभाग के अधीन अभिरक्षा में सुरक्षित रखें, कृपया आवेदक का फॉर्म इस विभाग को प्रेषित नहीं करें।
8. अभ्यर्थियों को यथा संभव गृह जिले में नियुक्ति/पदस्थापन किया जाए । यदि किसी अभ्यर्थी को गृह जिले में नियुक्ति /पदस्थापन किया जाना संभव नहीं हो तो निकटतम जिले मे पदस्थापन किया जाए।

9. किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई भी नियम संबंधी सूचना हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के तहत कार्मिक (क–2) विभाग से सर्म्पक कर राय प्राप्त करें।
10. कृपया नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी कर उक्त आदेशों को संकलित कर एक साथ सूचना इस विभाग को व एक प्रति सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भेजने की व्यवस्था करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति शीघ्र मिल सके।
11. आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर इस विभाग को निम्नानुसार सूचित करने का श्रम करे :–

क्र.सं.	विवरण	अवधि
1	प्रमाण पत्रों आदि की जाँच	31 मार्च 2017 तक
2	चिकित्सा जाँच	
3	पुलिस सत्यापन	
4	नियुक्ति आदेश जारी करना	07 अप्रेल 2017 तक
5	कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाना	02 मई 2017 तक